वकील वादी उप०। पत्रावली [illegible] तहसीलदार रिपोर्ट हेतु आइन्दा दिनांक 7/8/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक सघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/8/24 को पेश हो।
(रीडर)

अभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक सघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 30/8/24 को पेश हो।
(रीडर)

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० हाजिर है। तहसीलदार रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का [illegible] तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री जारी [illegible] हो [illegible] बाद तकमील पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 98/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गोकुलराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. जयनारायण पुत्र कानाराम
3. परमानन्द पुत्र कानाराम
4. फूलीदेवी पत्नी कानाराम
5. रामसहाय पुत्र कानाराम
6. शिवराम पुत्र कानाराम
7. सुशीला पुत्री कानाराम, समस्त जाति गुर्जर, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 5101 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5102 रकबा 0. 21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5103 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5104 रकबा 0.2100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5105 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 गोकुलराम का हिस्सा 1/3. प्रतिवादी संख्या 2 जयनारायण का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 3 परमानन्द का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 4 फूलीदेवीका हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 5 रामसहाय का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 6 शिवराम का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 7 सुशीला का

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

हिस्सा 1/18, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 मौके पर मनबंट एवं आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त है। जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। यह कि मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि हिस्सा 1/3 को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार हनुमान सहाय पुत्र भूरा जाति गुर्जर से उसके सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को दिनांक 23.10.2013 को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय किया गया था जिसके आधार पर राजस्व रेकोर्ड मे अंकन किया गया तथा जिस पर अपने हिस्से अनुसार क्रय करने के उक्त दिनांक से वादी काबिज होकर आज तक निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबंट के आधार पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/3 पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त वादी को करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा हैं। जबकि आज तक भूमि का विधिक विभाजन नही हुआ हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नहीं हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को औने पोने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही हैं। यह कि दिनांक 28/07/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 5 रामसहाय कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू-माफियाओं को बैचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हें बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू-माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकश्तकारान की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बैचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

[illegible] की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि मद संख्या 1 में वर्णित ग्राम टोडी पटवार हल्का नदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 5101 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5102 रकबा 0. 21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5103 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5104 रकबा 0.2100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5105 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण में वादी का 1/3 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही बेचान हस्तान्तरण करें, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण में दिनांक 27.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/3844 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 5101 रकबा 0.22

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5102 रकबा 0. 21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5103 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5104 रकबा 0.2100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5105 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर वाकै ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. गोकुलराम पुत्र रामचन्द्र हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 खातेदार मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5105 रकबा 0.4000 है0, 5104/1 रकबा 0.0112 है0 5103/1 रकबा 0.0121 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4233 है0 भूमि रहेगी।
2. जयनारायण पुत्र कानाराम हि0 1/6, परमानन्द पुत्र कानाराम हि0 1/6 राहिन यूको बैंक शाखा इण्डि. एरिया शाहपुरा, फूली देवी पत्नी कानाराम हि0 1/6, रामसहाय पुत्र कानाराम हि0 1/6 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा मनोहरपुर, शिवराम पुत्र कानाराम हि0 1/6, सुशीला पुत्री कानाराम हि0 1/6 समस्त जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5101 रकबा 0.2200 है0, 5103/2 रकबा 0.2034 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4234 है0 भूमि रहेगी।
3. भागीरथ पुत्र गोदूराम हि0 पूर्ण जाति जाट, हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5104/2 रकबा 0.1988 है0, 5102 रकबा 0.2100 है0, 5103/3 रकबा 0.0145 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4233 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 98 / 2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

–वादी

बनाम

8. गोकुलराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

9. जयनारायण पुत्र कानाराम

10. परमानन्द पुत्र कानाराम

11. फूलीदेवी पत्नी कानाराम

12. रामसहाय पुत्र कानाराम

13. शिवराम पुत्र कानाराम

14. सुशीला पुत्री कानाराम, समस्त जाति गुर्जर, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/24

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 5101 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5102 रकबा 0. 21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5103 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5104 रकबा 0.2100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 5105 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.2700 हैक्टेयर वाकै ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1. गोकुलराम पुत्र रामचन्द्र हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 खातेदार मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5105 रकबा 0.4000 है0, 5104/1 रकबा 0.0112 है0 5103/1 रकबा 0.0121 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4233 है0 भूमि रहेगी।
2. जयनारायण पुत्र कानाराम हि0 1/6, परमानन्द पुत्र कानाराम हि0 1/6 राहिन यूको बैंक शाखा इण्डि. एरिया शाहपुरा, फूली देवी पत्नी कानाराम हि0 1/6, रामसहाय पुत्र कानाराम हि0 1/6 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा मनोहरपुर, शिवराम पुत्र कानाराम हि0 1/6, सुशीला पुत्री कानाराम हि0 1/6 समस्त जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5101 रकबा 0.2200 है0, 5103/2 रकबा 0.2034 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4234 है0 भूमि रहेगी।
3. भागीरथ पुत्र गोदूराम हि0 पूर्ण जाति जाट, हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5104/2 रकबा 0.1988 है0, 5102 रकबा 0.2100 है0, 5103/3 रकबा 0.0145 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4233 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 30/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रमीण

खर्चे

ी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
ड़		जोड़	